M/s Indian Steel Wires & Products Ltd., Jamshedpur, petitioned the Delhi High Court that the quantity offered to them was too less and the railway should enahance the same since their rate was the lowest.

Subsequently the case was mutually settled and M/s ISWP withdrew their petition from the High Court, Delhi.

Railway Board had given another chance to those tenderers who were not ISI/BSI approved at the time of opening of tender to get themselves approved by ISI/BSI within a stipulated period, if they were interested and then approach the Railway Board for placement of the orders. Five such firms had approached Railway Board subsequently after obtaining ISI/BSI certificates, for placement of the orders. Their requests were considered and orders for supply of HTS wire were placed on them also.

Thus, all the grievances of the tenderers who had participated in the subject tender have been redressed.

Allotment of Residential Flats to Government servants by DDA

115. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether many Government servants had registered themselves for allotment of residential flats with the DDA in 1979 while being in service;

(b) whether many of those registrants who are due to retire during 1996 and 1997 have not yet been allotted the flats;

(c) if so, whether there is any proposal to permit such government servants to retain the government accommodation on normal rental basis till the time flats are allotted to them; and

(d) if not, the reasons and the justifications therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) and (b) DDA has reported that many applicants, including Government employees, have registered themselves under its New Pattern Registration Scheme, 1979. All the registrants are treated on equal footing and no separate record in respect of Government employees registered under the Scheme has been maintained by DDA.

(c) No, Sir.

(d) There is acute shortage of general pool accommodation for eligible and serving Government employees. Retention of accommodation by retired Government employees for indefinitely long period will further aggravate the position.

विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्र

116. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व के किन-किन देशों में भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं और इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संवर्गों के छात्रों की देश-वार संख्या कितनी है; और

(ग) विदेशों में छात्रों को अध्ययन हेतु भेजने के लिए सरकार द्वारा कौन-से मापदंड अपनाये गये हैं और उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) और (ख) अधिकतर सभी छात्र विदेशों में अध्ययन के लिए स्वयं जाते है। वे विदेशों में प्रवेश के लिए शैक्षिक संस्थानों से तथा वीजा के लिए सम्बंधित विदेशी मिशनों से सीधे ही संपर्क करते हैं। अत: विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों की सही सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) कुछ देश अपने ही शैक्षिक संस्थानों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) इनके चयन से सम्बद्ध है। वर्ष 1995-96 के दौरान 110 छात्र 11 देशों में अध्ययन के लिए गए।

कोयले का उत्पादन

117. **श्री इकबाल सिंह:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयला खानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त खानों से कोयले के उत्पादन की वार्षिक मात्रा कितनी है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान, देश में खान-वार कितना-कितना कोयला निकाला गया तथा उससे कितना लाभ हुआ;

(घ) क्या सरकार ने कोयले का पता लगाने के लिए देश के कुछ ऐसे भागों का सर्वेक्षण किया है, जहां कोयले के भण्डार उपलब्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) देश में कोल इण्डिया लि. (इं.लि.) को और सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) की खानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	कोलियरीयों की संख्या
1. कोल इंडिया लि.	510
2. सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि.	71

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि. की कोलियरियों के पिछले 3 वर्षों की अवधि के दौरान उत्पादित किए गए कोयले की मात्रा नीचे दी गई है:-

(उत्पादन मि.टन में)

वर्ष	को.इं.लि.	सिं.को.कं.लि.
1993-94	216.10	25.21
1994-95	223.07	25.65
1995-96 (अनंतिम)	237.28	26.76

(ग) कोयला कंपनियों के लाभ तथा हानि का मूल्यांकन किए जाने के प्रयोजन से कम्पनीवार कोयले के उत्पादन की सांख्यिकी तैयार की जाती है।

वर्ष 1995-96 की अवधि के दौरान देश की कोयला खानों से किए गए कोयले के कम्पनीवार उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है:-

	(मि.टन में)
ई.को.लि.	27.81
भा.को.को.लि.	27.81
सें.को.लि.	30.76
ना.को.लि.	35.20
वे.को.लि.	29.81
सा.ई.को.लि.	53.17
मा.को.लि.	32.70
ना.ई.को.	0.82
जोड़ को.इ.लि.	237.28
सिं.को.कं.लि.	25.76

वर्ष 1995-96 के लिये इन कोयला कंपनियों की लाभ अथवा घाटे की स्थिति का पता इनके वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने तथा इन लेखों के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा किए जाने और कोयला कंपनियों की वार्षिक आम सभा की बैठक में अंगीकृत किए जाने के बाद ही पता चल सकेगा।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड (के.खा.आ. एवं डि.सं.लि.) जो कि को.इं.लि. की एक सहायक कंपनी है, द्वारा ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण किया जा रहा है, जहां कि नियमित आधार पर कोयले के भण्डार उपलब्ध हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान के.खा.आ.डि.सं.लि. ने ऐसे क्षेत्रों में 2,72,403 मी. ड्रिलिंग कार्य किया है और इसने देश के विभिन्न भागों के 28 ब्लाकों में 2446 मि.टन कोयले के प्रमाणित भण्डारों का अन्वेषण किया है।

व्यावसायिक संस्थानों के लिए अनुदान

118. **श्री अजीत जोगी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्य-वार कितनी व्यावसायिक संस्थाएं कार्यरत हैं;

(ख) इन संस्थाओं में राज्य-वार कितने छात्र पंजीकृत हैं; और

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, सरकार ने राज्यों को इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितना-कितना अनुदान प्रदान किया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, अब तक 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं में कुल 18709 व्यावसायिक सेक्शन 6476 स्कूलों में संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 13602 व्यावसायिक सेक्शन 4775 स्कूलों में कार्य कर रहे हैं।

(ख) योजना में प्रावधान के अनुसार, राज्य से अपेक्षा